M.P. Online द्वारा काउंसलिंग प्रक्रिया के लिये नियमावली

PNST पाठ्यक्रम वर्ष 2020-21 मे सीट चयन/ आवंटन

1. आरक्षित आदिम जनजाति (बैगा, सहारीया एवं भरिया जनजाति) के आवेदनों की मेरिट सूची निम्नानुसार बिन्दुओं पर तैयार की जावेगी:-
   - आ. आवेदिकाओं के 12वी कक्षा मे प्राप्त अंको के आधार मेरिट तैयार की जावेगी।
   - इ. ऐसे आवेदिकाएँ जिनके 12 वी कक्षा के प्राप्तांक सामान होने की स्थिति मे अधिकतम आयु वाले आवेदिका को प्राथमिकता दी जावेगी।
   - ई. ऐसे आवेदिकाएँ जिनके 12 वी कक्षा के प्राप्तांक एवं आयु सामान होने की स्थिति मे 10 वी कक्षा मे प्राप्त अधिक अंक वाले आवेदिका को प्राथमिकता मिलेगी।
2. बैगा, सहारीया एवं भरिया जनजाति की आवेदिकाओं को प्रथमतः अनुसूचित जनजाति (एसटी) सीटों मे आवंटन दिया जावेगा। शेष बची सीटों पर अनुसूचित जनजाति के आवेदिकाओं का चयन किया जावेगा।
3. पीईबी द्वारा प्रतिभागियो की परीक्षा उपरांत मेरिट सूची संचनालय स्वास्थ्य सेवाएँ नर्सिंग शाखा को उपलब्ध कराई गई उस के पश्चात एमपीऑनलाइन के माध्यम से विभाग द्वारा बनाए गए नियम अनुसार काउन्सेलिंग की प्रक्रिया की जावेगी।
4. मंडल द्वारा संचालित परीक्षा में केवल उन्हीं आवेदक के नाम सफल आवेदिकाओं की सूची में सम्मिलित किए जाएंगे जिन्होंने निर्धारित कुलअंक में से अर्हकारी अंक प्राप्त किए हो। इस प्रयोजन हेतु अनारक्षित वर्ग एवं आशा अनारक्षित वर्ग के आवेदकों के लिए 45 प्रतिशत तथा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति ,अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आशा अनुसूचित जाति, आशा अनुसूचित जनजाति, आशा अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 प्रतिशत तक अंक की छूट देते हुए 40 प्रतिशत न्यूनतम अहर्ता अंक होंगे।
5. उपरोक्त उल्लेखित कटऑफ प्राप्तांक की न्यूनतम अहर्ता अंक वाले आवेदक काउन्सेलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने हेतु पात्र होंगे।
6. उक्त काउन्सेलिंग हेतु आवेदक द्वारा एमपीऑनलाइन के पोर्टल चार्ज 255+18%(जीएसटी) स्वयं आवेदक द्वारा ऑनलाइन देय होंगे। यदि आवेदक द्वारा ऑनलाइन भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदकों को काउन्सेलिंग प्रक्रिया में सम्मलित नहीं किया जावेगा।
7. काउन्सेलिंग प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:-

   a. आवेदक को रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग करने के लिए health.mponline.gov.in पर जाकर पीएनएसटी काउन्सेलिंग की लिंक पर क्लिक करने के पश्चात अपना आवेदन क्रमांक और जन्म तिथि डालकर लॉगिन करना होगा।

   b. लॉगिन करने पश्चात आवेदक की जानकारी उसकी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगी उसमे आवेदक अपना संपर्क हेतु जानकारी भरना सुनिश्चित कर सबमिट करे।

   c. तत्पश्चात स्क्रीन पर प्रदर्शित दस्तावेज (फोटो आईडी) अपलोड करे। इसके बाद प्रशिक्षण केंद्र की चॉइस फिलिंग कर एमपीऑनलाइन के पोर्टल चार्ज 255+18% जीएसटी का भुगतान करना सुनिश्चित करें। समस्त प्रशिक्षण केंद्र की चॉइस फिलिंग करना अनिवार्य है। यदि किसी आवेदक द्वारा रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग

करने के पश्चात काउन्सेलिंग हेतु ऑनलाइन देय शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो ऐसे आवेदकों को प्रक्रिया में सम्मलित नहीं किया जावेगा।

d. रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की अंतिम तिथि के पश्चात प्रशिक्षण केंद्र की आवंटन सूची health.mponline.gov.in पर प्रदर्शित की जावेगी।

e. आवेदक अपने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर बताए गए समय एवं तिथि पर दस्तावेज सत्यापन हेतु उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करवाएं।

f. यदि आवेदक दी गयी समय सारणी में दस्तावेज सत्यापन हेतु अपने आवंटित प्रशिक्षण केंद्र पर किसी भी कारणवश उपस्थित होने में असमर्थ रहता है तो ऐसी स्थिति में आवेदक को प्रक्रिया से बाहर एवं आवंटित सीट को रिक्त मानते हुये अगले चरण की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जावेगी।

8. पीएनएसटी प्रवेश परीक्षा पीईबी के द्वारा, आरक्षित, अनारक्षित 9 नर्सिंग महाविद्यालय की 540 सीटों के लिए की गई थी। संचनालय स्वास्थ्य सेवाएँ द्वारा अनुमोदन पश्चात मुख्यमंत्री घोषणा कार्यक्रम के अंतर्गत अनूपपुर नर्सिंग महाविद्यालय प्रारम्भ करने के लिए 30 सीटों को सम्मिलित करते हुये काउन्सेलिंग की जाना है। अतः कुल 540+30= 570 सीटों के लिए काउन्सेलिंग की जाएगी।

9. पीईबी के आवेदन फार्म में दर्ज मोबाईल नम्बर पर काउन्सेलिंग हेतु पात्र आवेदकों को रजिस्ट्रेशन एवं चॉइस फिलिंग की प्रारम्भ तिथि एवं अंतिम तिथि से एसएमएस के माध्यम से सूचित किया जावेगा। अतः प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण होने तक आवेदक अपना मोबाईल नम्बर ना बदले।

10. यदि प्रथम चरण में सीट आवंटन एवं रिपोर्टिंग पश्चात कुछ सीट शेष रह जाती हैं, तो द्वितीय चरण में सभी सीटों का समायोजन ओपन कैटेगरी में कर शेष आवेदकों को सीटों का आवंटन उनकी मेरिट एवं चाइस के आधार पर कर दिया जावेगा।

11. विभागीय नियमानुसार नर्सिंग के समस्त कार्यों में सक्षम उम्मीदवार पात्र है ,अतः उम्मीदवार को कार्य में सक्षम आधारित मेडिकल प्रमाण पत्र रेपोर्टिंग के समय प्रस्तुत करना होगा।

12. समय-समय पर यथा संशोधित मध्यप्रदेश सिविल सेवा (सेवा की सामान्य शर्तें) नियम, 1961 के नियम 6 के उपबंधों के अनुसार 26 जनवरी, 2001 के पश्चात् उम्मीदवार को तीसरी संतान हो तो पात्र नहीं होंगे।

13. पुरुष आवेदक चयन हेतु पात्र नहीं होंगे।

14. मध्य प्रदेश शासन से जारी राजपत्र दिनांक 10 मार्च 2000 अनुसार अभ्यर्थी के विवाह के समय आयु 18 वर्ष से कम हो, अयोग्य; अर्थात जिस अभ्यर्थी ने निर्धारित आयु 18 वर्ष से पूर्व विवाह कर लिया होगा उसे इन पदों पर चयन हेतु अयोग्य माना जायेगा।

15. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मान्य किया जावेगा।

16. मध्यप्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जातियों,अनुसूचित जनजातियों एवं अन्य पिछड़ा वर्गों के लिये आरक्षण) अधिनियम 1994 क्र. 21 वर्ष 1994 के उपबंधो के आरक्षण नियमानुसार सीटों का आवंटन किया जायेगा।

PNST पाठ्यक्रम वर्ष 2020–2021

संस्था चयन/आवंटन हेतु **MPOnline** काउंसलिंग नियमावली

1. PEB द्वारा जारी नियम पुस्तिका के अनुसार पारदर्शिता रखते हुऐ काउंसिल, संस्था आवंटन वर्गवार मेरिट के अनुसार **एमपीऑनलाइन** द्वारा की जायेगी।
2. PNST Rule Book क.7.3 के अनुसार बैगा, सहारिया एवं भारिया जनजाति के अभ्यार्थियों के लिये विशेष पिछड़ी जनजाति के लिये किये गये विशेष प्रावधान का पालन करते हुये मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी परिपत्र अनुसार चयन परीक्षा नही ली जाएगी । इस हेतु संबंधित अभ्यार्थियों को अपना पत्र पी.ई.बीको न भेजते हुए सीधे संबंधित विभाग को प्रेषित करना होगा।
3. काउंसलिंग की चयन प्रकिया के लिये PEB के प्राप्तांक की वर्गवार मेरिट के आधार पर अभ्यार्थियों को च्वाईस/फिलिंग के बाद सेन्टर आवंटन किया जायेगा।
4. अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये आरक्षण उच्च न्यायालय के आदेशानुसार मान्य किया जावेगा।
5. विशेष जनजाति बैगा/सहारिया/भारिया को प्रवेश परीक्षा नहीं देना है । अनुसूचित जनजाति की आरक्षित सिटों पर प्रवेश दिया जावेगा।
6. विभागीय नियमानुसार नर्सिंग के समस्त कार्यों में सक्षम मेडिकल प्रमाण पत्र के आधार पर दिव्यांग म.प्र. राजपत्र 20/12/2019 के नियम अनुसार प्रवेश के लिये पात्र होंगे।(6% आरक्षण)
7. अनारक्षित वर्ग के उम्मीदवार एवं आशा कार्यकर्ता के 10+2 मे प्राप्तांक PCB विज्ञान एवं अंग्रेजी मे न्यूनतम 55% होंगे।
8. आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार एवं आशा कार्यकर्ता के 10+2 मे प्राप्तांक PCB विज्ञान एवं अंग्रेजी मे न्यूनतम 50% होंगे।
9. PEB प्रवेश परीक्षा में न्यूनतम प्राप्तांक 45% अनारक्षित के लिये एवं 40% आरक्षित के लिये होंगे।
10. अनारक्षित एवं पिछड़ा वर्ग (क्रीमीलेयर) उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 17 वर्ष एवं अधिकतम 28 वर्ष एवं आरक्षित वर्ग एवं पिछड़ा वर्ग (नॉनक्रीमीलेयर) उम्मीदवारों को 5 वर्ष की छूट रहेगी।

11.आशा कार्यकर्ता के आरक्षित एवं अनारक्षित उम्मीदवारों के लिये अधिकतम आयु 35 वर्ष रहेगी। 5% आरक्षित सीटों पर, 5 वर्ष निरंतर अनुभव रखने वाली आशा पात्र होंगी।

12.म.प्र. सि.सेवा.नियम 1961 के नियम अनुबंध 6 के अनुसार 26 जनवरी 2001 के पश्चात् 3 संतान वाले उम्मीदवार अपात्र होंगे।

13.पुरुष अभ्यार्थी अपात्र है।

14.10 मार्च 2000 को जारी राजपत्र के अनुसार "18 वर्ष से पूर्व विवाह" के उम्मीदवार चयन हेतु अयोग्य होंगे।

15.EWS के लिये 10% आरक्षित सीटे होंगी।

16.जो छात्राऐं प्रशिक्षण के दौरान प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करती है तथा बीच में ही प्रशिक्षण पूर्ण नहीं करती है तथा बीच में ही प्रशिक्षण को छोड़ती है उन छात्राओं को शासकीय खर्च के साथ रू 2 लाख बोन्ड राशि शासन को जमा करनी होगी।

Alka

डॉ. अलका परगनिहा
संयुक्त संचालक (नर्सिंग)

अपर संचालक
संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें
मध्यप्रदेश